सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक – 27.08.2023

उ0प्र0 सरकार एवं श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत स्थापित हुये सीसीटीवी कैमरो की मदद से थाना कोतवाली उरई पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अन्तर्गत धारा 307 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशांदेही पर 01 अदद तमन्चा बरामद किया गया।

दिनांक 12.08.2023 को थाना कोतवाली उरई में वादी ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 12.08.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई संजय राजपूत को जान से मारने की नियत से गोली मार दी है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 655/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। घटना के अनावरण में एसओजी टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा करीब 100 सीसीटीवी कैमरो के फुटेज देखकर साक्ष्य संकलित करते हुये घटना का अनावरण किया गया। इस घटना के अनावरण में ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

दिनांक 27.08.2023 को थाना कोतवाली उरई पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार एवं श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत स्थापित हुये सीसीटीवी कैमरो की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए मजरूब संजय राजपूत की पत्नी को उसके अन्य 03 साथियों के साथ गिरफ्तार कर उनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमन्चा व 01 अदद खोखा कारतूस नाल में फसा हुआ बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मजरुब संजय राजपूत की पत्नी श्रीमती अंजली की मित्रता उपेन्द्र कुमार यादव उर्फ मोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 वार्ड न0 10 काजीपाठा थाना भाण्डेर दतिया म०प्र० से है, दोनो ने संजय राजपूत की हत्या करने का षणयंत्र रचा, उनके षणयंत्र मे विनोद केवट पुत्र ग्यासी केवट नि० नादिया थाना पन्डोखर जिला दतिया म०प्र०, जितेन्द्र केवट पुत्र स्व0 जगदीश केवट नि0 वार्ड न0 10 काजीपाठा थाना भाण्डेर दतिया म०प्र० व रवीन्द्र माली उर्फ ड्राइवर पुत्र रामकिशन नि० मु० कटरा थाना समथर जनपद झाँसी सम्मिलित हुये। 8 लाख रुपये में संजय राजपूत की हत्या कराने की बात तय की व 4 लाख रुपये एडवान्स में लेकर विनोद केवट उपरोक्त व उसके रिश्तेदार अवधेश उर्फ रवी व जितेन्द्र पुत्रगण भवानी केवट नि० कुठौन्दा थाना इदरगढ जिला दतिया म0प्र0 व लक्ष्मण केवट पुत्र वृन्दावन केवट नि० छैपटा थाना समथर जनपद झांसी को दिये एवं शेष 4 लाख रुपया हत्या के बाद देना तय किया गया था। षणयंत्र के अनुसार विनोद केवट, अवधेश उर्फ रवी, जीतेन्द्र केवट एवं लक्ष्मण केवट के द्वारा दिनांक 12.08.23 की सुबह 5 बजे तुलसी नगर उरई में संजय राजपूत की हत्या करने के उद्देश्य से गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. विनोद केवट पुत्र ग्यासी केवट नि० नादिया थाना पन्डोखर जिला दतिया म०प्र०
2. जितेन्द्र केवट पुत्र स्व0 जगदीश केवट नि0 वार्ड न0 10 काजीपाठा थाना भाण्डेर दतिया म०प्र०
3. रवीन्द्र माली उर्फ ड्राइवर पुत्र रामकिशन नि० मु० कटरा थाना समथर जनपद झाँसी
4. अंजली पत्नी संजय राजपूत (मजरूब) पुत्री स्व0 अमर सिंह नि0 तुलसीनगर थाना उरई जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस चैम्बर में फंसा हुआ।

गिरफ्तार/सहयोगार्थ करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली उरई मय टीम।
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम।